संघ लोक सेवा आयोग

# प्रेस नोट

प्रकाशन तिथि: 10 JAN 2018 6:08PM by PIB Delhi

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2017 तक आयोजित सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2017 के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं (ग्रुप 'क' तथा ग्रुप 'ख') में चयन हेतु व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।

2. इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी, इनके सभी प्रकार से पात्र पाए जाने के अध्यधीन अनंतिम है। उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के समय आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, समुदाय, शारीरिक विकलांगता आदि के अपने दावों के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज, जैसे यात्रा भत्ता प्रपत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. एवं शारीरिक विकलांगता से संबद्ध प्रमाण पत्र और यात्रा भत्ता प्रपत्र आदि आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अत:, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त दस्तावेज तैयार रखें ।

3. इन उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 19 फरवरी, 2018 से प्रारंभ होने की संभावना है। व्यक्तित्व परीक्षण, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के कार्यालय में आयोजित होगा। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख और समय का विवरण 18 जनवरी, 2018 से आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा। ऐसे उम्मीदवार, जिन्हें व्यक्तितत्व परीक्षण हेतु ई-समन पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो, वे आयोग कार्यालय से पत्र द्वारा या **टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23381125, 011-23098543 या फैक्स नं. 011-23387310, 011-23384472** पर तत्काल संपर्क करें। आयोग द्वारा व्यक्तितत्व परीक्षण/साक्षात्कार हेतु कोई कागजी समन पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अर्हक उम्मीदवारों को व्यक्तितत्व परीक्षण की तारीख और समय की सूचना व्यक्तिगत रूप से प्रदान नहीं की जाएगी।

4. उम्मीदवारों को सूचित की गई व्यक्तितत्व परीक्षण की तारीख तथा समय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. विस्तृत आवेदन पत्र (डीएएफ) भरते समय सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2017 हेतु अर्हक हुए उम्मीदवारों से संवर्ग संबंधी वरीयताएं प्राप्त नहीं की गई थी और डीएएफ के कॉलम 18 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संशोधित संवर्ग नीति सरकार(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के विचाराधीन थी। सरकार ने दिनांक 05.09.2017 को संवर्ग आबंटन नीति जारी कर दी है और यह नीति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संशोधित संवर्ग आबंटन नीति के अनुसार, व्यक्तित्व परीक्षण(साक्षात्कार) के लिए अर्हक हुए सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि जोन और संवर्ग संबंधी वरीयताएं प्रदान करने के लिए डीएएफ के अनुशेष को ऑनलाइन भरें। डीएएफ का अनुशेष, आयोग की वेबसाइट पर 16/01/2018 से 29/01/018 (सायं 6.00 बजे) तक उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि संवर्ग आबंटन नीति-2017 का अवलोकन करने के लिए वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर http://persmin.gov.in/AIS1/QryCA.asp लिंक पर जाएं। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे जोनों और संवर्गों संबंधी

अपनी वरीयताएं प्रदान करने से पहले संवर्ग आबंटन नीति 2017 का विस्तृत अध्ययन कर लें। एक बार चुन ली गई और सब्मिट कर दी गई वरीयताओं को बाद में संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। अत: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जोनों और उनके अंतर्गत संवर्गों के संबंध में अपनी वरीयताएं भरते समय पर्याप्त सावधानी बरतें। यदि कोई उम्मीदवार, निर्धारित अंतिम तिथि/समय तक डीएएफ के अनुशेष को सब्मिट करने में विफल रहता है, तो यह मान लिया जाएगा कि जोनों और संवर्गों के संबंध में उसे कोई वरीयता प्रदान नहीं करनी है और इस संबंध में किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. विस्तृत आवेदन फार्म (डीएएफ) में पहले प्रदान की गई सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/ संशोधन करने के किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, जहां कहीं आवश्यक हो, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उनके पते/ संपर्क संबंधी विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर, इस प्रेस नोट के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर पत्र, ई-मेल (**csm-upsc@gov.in**)अथवा ऊपर दर्शाए गए नंबरों पर फैक्स द्वारा सूचना तत्काल भेजी जाए।

7. अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को साक्ष्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरकर उसे ऑनलाइन ही जमा कराना होगा जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट परदिनांक 19 फरवरी, 2018 से लेकर व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के पूरा होने तक http://persmin.gov.in/AIS1/WelcomeCSE.asp लिंक पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को इसे निर्धारित समयावधि में ही ऑनलाइन भरने की सलाह दी जाती है। साक्ष्यांकन प्रपत्र के संदर्भ में किसी प्रकार के प्रश्न/ स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवारों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से उनकी ई-मेल आई डी **doais1@nic.in, ashishm.more@nic.in,**, या दूरभाष नंबरों 011-23093683, 23092158, 23040335पर संपर्क करना होगा।

8. जिन उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त नहीं की है, उनके अंक-पत्र, अंतिम परिणाम (व्यक्तित्वपरीक्षणकेबाद) के प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे तथा वेबसाइट पर 60 दिनों की अवधि के लिए उपलब्धरहेंगे Courtesy - PIB